न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 143/2022 बउनवानी गोपाल लाल मिश्रा बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर
निवासी ग्राम रामसिंहपुरा, पोस्ट शेरपुर तहसील सवाईमाधोपुर
GCMS No-2022/232

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
15.12.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 4.10.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. राजस्व मण्डल अजमेंर के आदेश दिनांक 10.9.2012 की पालना नही करने व फर्जी तरीके से नामा0 खोलने व रिकार्ड मे छेडछाड करने के संदर्भ मे अवगत कराया गया कि पटवारी हल्का शेरपुर, तत्कालीन तहसीलदार व अमीन द्वारा रिकार्ड में आदेश की पालना नही की गयी है। उक्त कर्मचारियो के विरूद्व आपराधिक सडयंत्र रचना, धोखाधडी करना का प्रकरण दर्ज करवाया गया है या नही के संबंध मे जानकारी उपलब्ध करावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक भू.अ. 2022 /8864 दिनांक 25.11.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 8011 दिनांक 21.10.2022 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। चूंकि चाही गयी सूचना कार्यालय मे उपलब्ध नही है इसलिए अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 4.10.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके संबंध मे अपीलान्ट को तहसीलदार द्वारा वस्तुस्थिति से अव[illegible] में अंकित पते पर जरिये पत्रांक 8011 दिनांक 21.10.2022 से अपीलान्ट [illegible] गया किन्तु अपीलान्ट की तामील नही हो सकी तथा न्यायालय [illegible] नोटिस भी अदम तामील प्राप्त हुआ है। इस प्रकार अपीलान्ट [illegible]दार सवा[illegible]र के कार्यालय मे उपलब्ध नही होनें के [illegible] जाना आवश्यक [illegible]। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.03.17 17:41:18 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर